

## न्यायालय तहसीलदार, पुष्कर (जिला अजमेर)

प्रकरण संख्या 11/2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का नान्द बनाम मदन, पन्ना, धन्ना पुत्रगण पूसा रामस्वरूप, कैलाश,  
जगदीश पुत्रगण नाथू जाति जाट निवासी ग्राम नांद

(अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956)

निर्णय दिनांक 07.10.2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का नान्द ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि अप्रार्थीगण द्वारा संवत् 2079 में ग्राम नान्द के सिवायचक भूमि के खसरा नम्बर 398/1977 रकबा 1.17 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 पर चरी बाजरा काश्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट से आश्वस्त होकर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण दिनांक 07.10.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अप्रार्थीगण दिनांक 07.10.2022 को भी न्यायालय में उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी करार दिया जाकर विवादित आराजी से बेदखल किया जावे तथा भूमि का कब्जा राजहित में लिया जावे। दण्ड स्वरूप वार्षिक कुल लगान 5.85/- का 50 गुना 293/- रुपये (दो सौ तिरानवे रुपये मात्र) कायम की जाती है। शास्ति राशि की वसूली, बेदखली/जब्ती/निलामी की कार्यवाही हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक नान्द एवं पटवारी हल्का नान्द तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। तहसील राजस्व लेखाकार को पत्रावली मांग कायमी हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
तहसीलदार पुष्कर  
जिला (अजमेर)  
तहसीलदार  
पुष्कर (अजमेर)